प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

ग्रामीण आवास आयुक्त,
उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद,
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2016**

विषयः-लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण के माध्यम से ली गयी धनराशि से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि आहरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के पत्र संख्या-335 / वि0का0 / लो0ग्रा0आ0यो0 / 2016, दिनांक-14 मार्च, 2016(छायाप्रति संलग्नको सहित संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित 99353 आवासों में सोलर पावर पैक(एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु नेडा को अग्रिम भुगतान हेतु अवमुक्त करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन का प्रस्ताव पर अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-31-03-2015 को हडको से ऋण के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद को लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों के लिये आवास निर्माण हेतु शासकीय अनुबन्ध पत्र के द्वारा धनराशि रू0-1500 करोड से प्रथम किश्त के रूप मे वास्तविक रूप में प्राप्त धनराशि रू0-6,59,54,18,243.00 को ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0-318 / 38-9-2015-2(ग्रा0आ0परि0) / 2015, दिनांक-07-04-2015 के द्वारा आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के डिपाजिट खाता(पी0एल0ए0) में जमा की गयी है। पी0एल0ए0 में जमा उक्त रू0-6,59,54,18,243.00 में से शासनादेश सं0-01 / 2016 / 47 / 38-4-16-20(बजट) / 2015, दिनांक-19-01-2016 द्वारा रू0-48327.276 लाख, शासनादेश संख्या-10 / 2016 / 308 / 38-4-16-01(बजट) / 2015, दिनांक 21.03.2016 द्वारा रू0-11337.136 लाख तथा शासनादेश संख्या-11 / 2016 / 339 / 38-4-16-01(बजट) / 2015, दिनांक 22.03.2016 द्वारा रू0-3713.40 लाख की धनराशि अर्थात कुल रू0 63377.812 लाख की धनराशि पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार पी0एल0ए0 में अब रू0 2576.37043 लाख की धनराशि अवशेष उपलब्ध है।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत आयुक्त, ग्राम्य विकास के उपरोक्त पत्र दिनांक 14 मार्च, 2016 के प्रस्ताव के क्रम में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के डिपाजिट खाता(पी0एल0ए0) में जमा रू0-6,59,54,18,243.00 में से अवशेष रू0 2576.37043 लाख को लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक(एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु पी0एल0ए0 में उपलब्ध अवशेष धनराशि रू0-2576.37043 लाख को उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यू0पी0 नेडा) उ0 प्र0 को अग्रिम के रूप में भुगतान हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774 / दस-15-1(1) / 69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235 / दस-2011-15-1(1) / 69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा अग्रलिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन धनराशि **रू0-2576.37043 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ छियहत्तर लाख सैतीस हजार तैतालिस मात्र)** को आहरित कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च,2016 तक अवश्य कर दिया जायेगा।

2 / -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धनराशि को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुण्वत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(6) आहरित की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-925/दस-2015-231/2012, दिनांक-30 मार्च, 2015 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आहरित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की वास्तविक व्यय की आवश्यकता होगी।

(9) पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/योजना में नहीं किया जायेगा।

(10) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(11) पी0एल0ए0 में आहरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत योजना हेतु निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किा जायेगा।

(12) आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक सीधे जिम्मेदार होंगे।

(13) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(14) वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पंजी संख्या-ई-2-358(1)/दस-2016, दिनांक-31 मार्च, 2016 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,
वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-13 / 2016 / 379(1) / 38-4-2016, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।

3 / -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
14- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
15- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र गौतम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।